न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या– 121/2019
वाद प्रस्तुति दिनांक–15.11.2019
निर्णय दिनांक–16.07.2024

1. भूरी धर्मपत्नि स्व0 श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक
2. रेणू पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. आशा पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. कोमल पुत्री स्व0 श्री रामेश्वर नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षका श्रीमति भूरी धर्मपत्नि स्व. रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. अवधेश उर्फ विक्रम पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भागचन्द पुत्र अम्बालाल जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2. ऋषिराज पुत्र अम्बालाल जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. मु. धापू बेवा रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री शिवजीराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 02–श्री चतुर्भुज गुर्जर

दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92–ए राज0टि0एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद बाबत् उदघोषणा, खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 को बिलएवज मु. 1,75000 रूपये में वादीया संख्या 01 के पति व वादी संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। स्व0 रामेश्वर के जीवनकाल में उक्त खरीद शुदा आराजीयात पर वास्तविक रूप से उनका कब्जा एवं काश्त चला आ रहा था। उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त आराजीयात पर हम वादीगण का ही कब्जा एवं काश्त वास्तविक रूप से मौके पर चला आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त आराजीयात में वादीगण ने ही सरसों की फसल काश्त कर रखी हैं

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

एवं उक्त आराजीयात पर खरीद की दिनांक से वादीगण का वास्तविक रूप से कब्जा काश्त निर्बाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है। ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 घोषित फरमाया जावे ओर इसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अंकन करवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त वर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर भी लट्ठ के बल पर नाजायज रूप से आराजी ख0न0 2488 में खड्डे खोदकर नीवे भरकर मकान का निर्माण करने पर आमादा है। जिसका कि कानूनन उन्हे किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होने मौके पर मेटेरियल डाल रखा है एवं नीवें खोद दी एवं निर्माण कार्य करने हेतु तत्पर है। जिस बाबत् प्रतिवादी संख्या 01, 02 को स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 03 उक्त वर्णित आराजीयात को विक्रित करने वाली एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार होने की वजह से उसको पक्षकार बनाया गया हैं। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा की जाकर भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं और इसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 03 का नाम हटाया जावे एवं साथ ही डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजामहत व मदाखलत नहीं करे व कोई निर्माण कार्य नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की और से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बार बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने के कारण, प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल लायी गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादीया संख्या 01 भूरी धर्मपत्नि स्व. श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना ने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–1 प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 को बिलएवज मु. 1,75000 रूपयें में वादीया संख्या 01 की पति व वादी संख्या 02 ता 05 के पिता स्व. रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। स्व0 रामेश्वर के जीवनकाल में उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर वास्तविक रूप से उनका कब्जा एवं काश्त चला आ रहा था। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में वादीगण का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ास्तविक रूप से कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त वर्णित
ाराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर भी लट्ठ के बल पर नाजायज रूप से आराजी खन0
488 में खड्डे खोदकर नीवे भरकर मकान का निर्माण करने पर आमादा है। जिसका कि कानूनन उन्हे किसी
कार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 उक्त वर्णित आराजीयात को विक्रित करने
ाली एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार होने की वजह से उसको पक्षकार बनाया गया हैं। अतः डिक्री बहक
ादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा की जाकर भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा रकबा
म्पूर्ण व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से का खातेदार
ाश्तकार मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे
ौर इसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 03 का नाम
टाया जावे तथां साथ ही डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाकर
तिवादी संख्या 01 व 02 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार,
रिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजामहत व
दाखलत नहीं करे व कोई निर्माण कार्य नहीं करे। शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 रामकरण पुत्र काना जाति जाट
िवासी ग्राम झिराना ने कथन किया की मैं वादीगण व वादीगण के पति व पिता स्व. रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति
ाट निवासी झिराना तह0 पीपलू एवं विवादित आराजीयात को भंली भांति जानता हूँ। वादीया संख्या 01 के पति
वादी संख्या 02 ता 05 के पिता रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू ने अपने जीवनकाल
भूमि ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा सम्पूर्ण भूमि व ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा भूमि का 1/2 हिस्सा
ाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 को खरीद कर
ब्जा मालिकाना प्राप्त किया था। उक्त आराजीयात पर रामेश्वर अपने जीवनकाल तक काबिज रहा हैं तथा
सकी मृत्यु पश्चात उक्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त वास्तविक रूप से मौके पर चला आ रहा है।
र्तमान में भी इस भूमि पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण
ंख्या 01, 02 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01, 02 लठ्ठ के बल पर वादीगण उक्त
ाराजीयात में नाजायज रूप से खड्डे कर नीवें मकान निर्माण करना चाहते है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
न्होने मौके पर मैटेरियल डाल रखा है और निर्माण कार्य करने पर उतारू है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी
षेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। बहस वादीगण एकतरफा सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण
ी बहस अनुसार अनुसार भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439
कबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक
2.03.2005 को बिलएवज मु. 1,75000 रूपये में वादीया संख्या 01 के पति व वादी संख्या 02 ता 05 के पिता स्व.
ामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था।
ख0 रामेश्वर के जीवनकाल में उक्त खरीदशुदा आराजीयात पर वास्तविक रूप से उनका कब्जा एवं काश्त चला

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

आ रहा था। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में वादीगण का वास्तविक रूप से कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का उक्त वर्णित आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर भी लट्ठ के बल पर नाजायज रूप से आराजी खन0 2488 में खड्डे खोदकर नीवे भरकर मकान का निर्माण करने पर आमादा है। जिसका कि कानूनन उन्हे किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03 उक्त वर्णित आराजीयात को विक्रित करने वाली एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार होने की वजह से उसको पक्षकार बनाया गया हैं। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा की जाकर भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा रकबा सम्पूर्ण व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का अंकन कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 03 का नाम हटाया जावे तथां साथ ही डिक्री बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजामहत व मदाखलत नहीं करे व कोई निर्माण कार्य नहीं करे।

हमने बहस वादीगण सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा विक्रय पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र वादीया भूरी धर्मपत्नि स्व0 रामेश्वर जाति जाट निवासी ग्राम झिराना, एक स्वतन्त्र गवाह्न रामकरण पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू, ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.09.2022 को जारी वारिसान प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया एवं वादीगण की बहस पर मनन किया गया। उक्त विक्रय पत्र एक पंजीबद्ध विक्रय पत्र है। जिसके अनुसार वादीगण के पिता व पति स्व0 रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 धापू बेवा रामचन्द्रा जाति जाट निवासी ग्राम झिराना द्वारा भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना के सम्पर्ण रकबे व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2005 को बिलएवज मु. 1,75000 रूपये से खरीद किया जाना स्पष्ट है। मुताबिक विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा क्रेता से राशि नकद प्राप्त कर क्रेता को मौके पर कब्जा मालिकाना वास्तविक रूप से कब्जा क्रेता को दे दिया है। वादग्रस्त आराजीयात को वादीगण के पिता व पति द्वारा खरीद किया जाना स्पष्ट होता हैं। विक्रयपत्र उप पंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 22.03.2005 को विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। जिसे किसी न्यायालय द्वारा अभी तक शून्य घोषित नहीं किया गया हैं। मुताबिक ग्राम पंचायत झिराना के सजरा प्रमाण पत्र वादीगण क्रेत्ता स्व0 रामेश्वर पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम झिराना के वारिसान है। जिनको रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा कारित नहीं होती है। अतः वादीगण का वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी ख0न0 2488 रकबा 07–11 बीघा वाके ग्राम झिराना पटवार हल्का झिराना के सम्पूर्ण रकबा व भूमि ख0न0 2439 रकबा 01–10 बीघा वाके ग्राम झिराना तह0 पीपलू के 1/2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 03 मु. धापू बेवा रामचन्द्रा जाति जाट निवासी ग्राम झिरानां के स्थान पर वादीगण

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पूरी धर्मपत्नि स्व. रामेश्वर, रेणू, आशा, कोमल पुत्रियां स्व. रामेश्वर, अवधेश उर्फ विक्रम पुत्र स्व. रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासी ग्राम झिराना को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार, पारिवारिक व्यक्ति के उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नहीं करे एवं उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner